भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 620
09 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

620. श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:
श्री महाबली सिंह:
श्री हँसमुखभाई एस. पटेल:
डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री चुन्नीलाल साहू:
श्री रामशिरोमणि वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुष्मान-भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएवाई) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इसके लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत रोगियों को चिकित्सा सुविधा संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए तत्संबंधी पात्रता मानदंड और निर्धारित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के लाभ से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों को इसमें सम्मिलित करने और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में इस योजना को बढ़ावा देने/विस्तारित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या के साथ-साथ स्वीकृत, आवंटित, उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ड) पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या के साथ-साथ अब तक जारी किए गए आयुष्मान भारत कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गई बीमारियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत रोगियों को चिकित्सा सुविधा संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए निर्धारित मुख्य विशेषताएं, पात्रता मानदंड और प्रक्रिया

अनुलग्नक- I पर हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान प्राधिकृत अस्पताल भर्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.06.2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों की पहचान के लिए अपने डेटासेट का उपयोग कर सकते हैं। तथापि, भारत सरकार एसईसीसी 2011 डेटाबेस के अनुसार पात्र परिवारों की संख्या तक सीमित ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए निधि का अपना भाग प्रदान करेगी।

उक्त योजना के तहत निर्गमित केंद्रीय भाग की निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वित्त वर्ष-वार विवरण और सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या अनुलग्नक-III पर है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हें निधियां निर्गत की जाती है।

विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में जारी किए गए आयुष्मान कार्ड/अनुमोदित आवेदनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वित्त वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है। उक्त अवधि के दौरान अस्वीकृत आवेदनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या 41,309 है।

उक्त योजना के अंतर्गत आने वाले रोगों का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
https://pmjay.gov.in/sites/default/files/2022-04/HBP%202022%20..pdf

1. आयुष्मान भारत, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के विज़न को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की अनुशंसा के अनुरूप शुरू की गई थी। इस पहल को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो "किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना" है।
2. एबी-पीएमजेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है।
3. एबी-पीएमजेएवाई माध्यमिक और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य आश्वासन प्रदान करता है।
4. एबी-पीएमजेएवाई पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस स्कीम है।
5. एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभ देश भर में पोर्टेबल हैं।
6. परिवार के आकार, या उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं है.
7. आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत लाभार्थी परिवारों की पहचान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चयनित अभाव और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर की गई है। विवरण नीचे दिए गए हैं:

एसईसीसी 2011 के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई के तहत पात्रता के लिए मानदंडों की विस्तृत सूची
स्वत: रूप से शामिल:

1. आश्रय के बिना परिवार
2. निराश्रित / भिक्षा पर रहने वाले
3. हाथ से मैला ढोने वाले परिवार
4. आदिम जनजातीय समूह
5. कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर

ग्रामीण क्षेत्र में वंचन मानदंड:

डी1: कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरा
डी2: 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं
डी3: 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य बिना महिला नेतृत्व वाले परिवार
डी4: अक्षम सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं
डी5: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवार
डी7: भूमिहीन परिवार मैनुअल नैमित्तिक श्रम से अपनी आय का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं

शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक मानदंड:

1) कूड़ा बीनने वाला
2) भिखारी
3) घरेलू कार्यकर्ता
4) स्ट्रीट वेंडर / मोची / हॉकर / सड़कों पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता
5) निर्माण श्रमिक/प्लंबर/मेसन/श्रम/पेंटर/वेल्डर/सुरक्षा गार्ड/कुली और अन्य हेड-लोड श्रमिक
6) स्वीपर / सफाई कर्मचारी / माली
7) घर आधारित श्रमिक / कारीगर / हस्तशिल्प कार्यकर्ता / दर्जी
8) परिवहन कार्यकर्ता / ड्राइवर / कंडक्टर / ड्राइवर और कंडक्टर के हेल्पर/ कार्ट चालक / रिक्शा चालक
9) दुकान में कार्य करने वाले कार्यकर्ता/ सहायक / छोटे प्रतिष्ठान में चपरासी/हेल्पर/ डिलीवरी सहायक / परिचर / वेटर

10) इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक / असेंबलर / मरम्मत करने वाले कार्यकर्ता / वाशर-मैन / चौकीदार

8. एसईसीसी 2011 के तहत पात्र लाभार्थियों की संख्या 10.74 करोड़ (50 करोड़ लोग) है। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले 33 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने 14.77 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए योजना के कवरेज का और विस्तार किया है।
9. एबी-पीएमजेएवाई पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ओडिशा को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है।
10. यह योजना तीन-स्तरीय मॉडल के माध्यम से पूरे देश में लागू की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, देश भर में एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाला शीर्ष निकाय है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर एबी-पीएमजेएवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) की स्थापना की गई है। योजना हितधारकों के बीच जमीनी समन्वय सुनिश्चित करने और सुचारू कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यान्वयन इकाइयों (डीआईयू) की स्थापना की गई है।
11. एबी-पीएमजेएवाई पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत को अनुपातकि रूप से साझा किया जाता है।

अनुलग्नक-II

विगत तीन वर्षों के दौरान प्राधिकृत अस्पताल भर्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	विगत तीन वर्षों के दौरान प्राधिकृत अस्पताल भर्तियों की संख्या (2019-20 से 2021-22)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,822
आंध्र प्रदेश	2,765,894
अरुणाचल प्रदेश	2,904
असम	548,744
बिहार	498,772
चंडीगढ़	23,541
छत्तीसगढ	3,130,538
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	93,191
गोवा	10,675
गुजरात	3,426,496
हरियाणा	582,977
हिमाचल प्रदेश	174,161
जम्मू और कश्मीर	652,428
झारखंड	1,398,502
कर्नाटक	3,526,985
केरल	4,579,831
लद्दाख	5,595
लक्षद्वीप	297
मध्य प्रदेश	2,218,822
महाराष्ट्र	698,432
मणिपुर	80,663
मेघालय	528,311
मिजोरम	81,209
नगालैंड	31,066
पुदुचेरी	31,048
पंजाब	1,349,173
राजस्थान	3,929,711
सिक्किम	9,017
तमिलनाडु	8,394,153
तेलंगाना	576,304
त्रिपुरा	187,341
उत्तर प्रदेश	1,678,491
उत्तराखंड	620,734

अनुलग्नक-III

एबी-पीएमजेएवाई के तहत जारी निधियों और पैनलबद्ध अस्पतालों का राज्य वार/संघ राज्य वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23	
	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)	पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)	पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)	पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)	पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.41	-	0.27	-	0.76	-	1.0	7
आंध्र प्रदेश	374.07	818	261.23	70	223.95	576	456.27	1,011
अरुणाचल प्रदेश	-	17	0.67	16	0.00	18	1.76	11
असम	133.23	151	12.10	49	87.91	16	110.94	212
बिहार	82.49	200	-	44	59.77	45	115.76	699
चंडीगढ़	3.82	7	1.84	4	2.49	7	3.78	15
छत्तीसगढ	280.37	632	112.62	720	66.00	151	263.73	104
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.02	0	4.24	0	1.76	0	2.49	7
दिल्ली	-	35	-	20		28	-	26
गोवा	0.06	16	0.49	3	0.60	8	0.53	9
गुजरात	212.33	105	99.84	104	330.55	168	477.81	2,496
हरियाणा	58.69	151	71.92	49	89.95	64	94.71	465
हिमाचल प्रदेश	19.12	22	32.93	13	33.71	35	30.18	200
जम्मू और कश्मीर	33.44	82	22.70	2	75.12	39	42.15	172
झारखंड	126.50	138	100.32	50	7.98	53	-	611
कर्नाटक	254.13	2356	160.85	241	414.11	102	333.7	1040
केरल	97.56	130	145.61	179	138.90	160	138.89	282
लद्दाख	-	1	1.62	-	0.51	-	1.92	9
लक्षद्वीप	-	-	-	5	0.31	-	0.15	1
मध्य प्रदेश	118.46	318	164.80	209	355.25	206	480.9	278
महाराष्ट्र	241.88	185	376.65	333	324.75	93	316.58	489
मणिपुर	17.10	42	11.45	8	22.50	15	26.63	28
मेघालय	18.07	21	49.52	6	22.28	1	19.75	155
मिजोरम	12.41	16	14.97	4	16.58	-	14.55	76
नगालैंड	10.89	29	12.27	9	14.09	4	10.27	99
ओडिशा	-	24	-	2	-	1	-	1
पुदुचेरी	-	19	1.23	2	0.11	6	5.5	5
पंजाब	55.55	674	46.85	156	80.50	94	-	0

राजस्थान	200.07	974	258.31	21	96.39	12	348.92	91
सिक्किम	0.09	5	1.85	-	1.04	6	1.83	6
तमिलनाडु	441.77	88	359.81	44	75.14	623	330.96	1,022
तेलंगाना	-	20	-	16	150.26	394	43.03	306
त्रिपुरा	20.18	15	8.98	36	35.60	2	32.41	92
उत्तर प्रदेश	147.49	961	167.63	104	157.56	313	269.17	1,906
उत्तराखंड	30.73	27	40.52	18	54.23	29	53.25	168
पश्चिम बंगाल	-	52	-	6	-	4	-	9

नोट: ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एबी-पीएमजेएवाई को लागू नहीं कर रहे हैं। योजना की सुवाह्यता सुविधा के तहत उपचार प्राप्त करने के लिए लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाभार्थियों की सुविधा के लिए इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अस्पतालों को पैनल में रखा गया है।

अनुलग्नक – IV

जारी किए गए आयुष्मान कार्डों/अनुमोदित आवेदनों और अस्वीकृत आवेदनों का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष-वार बनाए गए आयुष्मान कार्ड				अस्वीकृत आवेदन
	वित्त वर्ष 2019-2020	वित्त वर्ष 2020-2021	वित्त वर्ष 2021-2022	वित्त वर्ष 2022-2023	
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	11,520	18,802	6,107	453	0
आंध्र प्रदेश	5	14	49	6,336,211	0
अरुणाचल प्रदेश	1,494	13,603	32,166	28,560	3
असम	908	145,776	218,005	517,396	10086
बिहार	4,142,913	1,466,970	723,114	216,675	44
चंडीगढ़	24,814	11,894	7,402	25,214	21
छत्तीसगढ	2,118,892	8,893,021	3,736,808	618,906	0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	84,293	13,577	11,682	402	25
गोवा	13,965	317	263	4,271	0
गुजरात	2,837,932	245,274	4,964,420	3,902,801	16557
हरियाणा	1,298,886	337,478	301,961	2,847,630	5
हिमाचल प्रदेश	319,764	214,649	69,791	14,039	2
जम्मू और कश्मीर	50,337	3,408,585	2,114,246	1,364,070	11117
झारखंड	5,636,939	235,264	408,275	247,136	23
कर्नाटक	336	79	48	11,952,403	2
केरल	6,373,978	176,502	280,986	230,211	5
लद्दाख	514	58,254	16,676	30,344	71
लक्षद्वीप	1,559	93	16,593	7,457	33
मध्य प्रदेश	4,869,858	9,137,725	3,717,286	6,424,880	418
महाराष्ट्र	6,298,349	270,809	372,042	622,893	2117
मणिपुर	145,769	70,155	102,677	71,280	682
मेघालय	1,283,970	41,424	145,387	56,541	15
मिजोरम	210,100	11,035	3,940	68,607	4
नगालैंड	207,056	16,672	21,709	33,415	0
पुदुचेरी	114,006	15,793	256,564	13,352	3
पंजाब	3,836,218	2,331,067	1,647,287	151,296	35
सिक्किम	27,218	2,702	10,797	6,812	5
तमिलनाडु	188	179	373	869,429	4
त्रिपुरा	768,415	117,895	37,531	29,124	0
उत्तर प्रदेश	6,530,324	4,406,775	4,154,358	5,382,279	16
उत्तराखंड	860,813	573,729	355,719	243,484	16

नोट: राजस्थान में एबी-पीएमजेएवाई को राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ मिलकर लागू किया गया है। संयुक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, पात्र लाभार्थी परिवार अपने मौजूदा जन आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

******